



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4207]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 4207]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4709(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में केंद्र सरकार, एतद्वारा महानिदेशक, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, राजस्थान सरकार, जयपुर को उक्त खंड के प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह स्पष्ट किया गया है कि आयकर प्राधिकारी को जैसाकि अधिसूचना सं. का.आ. सं.731(अ) दिनांकित 28.07.2000, में विनिर्दिष्ट किया गया है—

- (i) ऐसी सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा अपना मत बनाने के बाद केवल प्रासंगिक एवं सटीक जानकारी ही प्रस्तुत करें ताकि उपरोक्त अधिसूचित प्राधिकरण को उसके द्वारा संचालित कानून के तहत अपने कार्यों को करने में सक्षम बनाया जा सके; और
- (ii) इस अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जा रहे प्राधिकारी को सूचित किया जाता है कि प्रस्तुत की जाने वाली सूचना के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखें।

[अधिसूचना सं. 106/2019/फा. सं. 225/214/2019-आईटीए-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2019

S.O. 4709(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 138 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby specifies **Director General, Anti-Corruption Bureau, Government of Rajasthan, Jaipur** for the purpose of said clause.

2. It is clarified that income-tax authority, as specified in Notification No. S.O. No. 731(E) dated 28.07.2000, shall—

- (i) furnish only relevant and precise information after forming an opinion that furnishing of such information is necessary so as to enable the above notified authority to perform its functions under the law being administered by it; and
- (ii) convey to the authority being specified *vide* this notification to maintain absolute confidentiality in respect of information being furnished.

[Notification No.106/2019/F. No. 225/ 214/2019-ITA-II]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.